23.11.21

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ..... रायसिंहनगर

सावित्री 21/23 NP बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 380 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/ .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23-11-21	तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1228 दिनांक 23-11-21 के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ओडी में प्रार्थी के नाम चक 21/23 NP की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 98 में सावित्री देवी पुत्र कृष्णलाल दर्ज है। के स्थान पर सावित्री देवी पुत्री कृष्णलाल की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 21/23 NP तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 98 में सावित्री देवी पुत्र कृष्णलाल दर्ज है। के स्थान पर सावित्री देवी पुत्री कृष्णलाल के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बकरार रहा। इस अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाए। का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा–ए–आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:32:56 IST
Reason: SelfAttested